

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

आनंद किशोर,
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक- 21-11-19

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना की राशि का संव्यवहार सरकारी बैंकों से किए जाने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग के पत्रांक सं0-8783 दिनांक-31.10.19

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक सं0-8783 दिनांक-31.10.19 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का संव्यवहार सरकारी बैंकों में खाता खोलकर किया जाना है।

2. अतः निदेश दिया जाता है कि सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का बैंक खाता सरकारी बैंकों में ही संधारित किया जाय। निदेश का अनुपालन पाँच दिनों के अंदर करते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न) विभाग को भेजा जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजीन,

(आनंद किशोर),

सरकार के सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

कार्यालय का नाम

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वित्त विभाग के पत्रांक-8705 दिनांक-31.10.19 के अनुपालन में सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बैंक खाता का संधारण सरकारी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है।

नगर निकाय का नाम:-
दिनांक:-

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पत्र सं०-एम-4-01/2018... 8783 वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी/
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।



पटना-15, दिनांक 31-10-19

विषय :- केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की राशि का संव्यवहार सरकारी बैंकों के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- महालेखानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन-11012/3(1)/Bank/Ref. Case/2010/GBA/1351-1454 दिनांक 21.08.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में महालेखानियंत्रक, भारत सरकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार से प्राप्त राशि को अनुभूतित व्यवसायिक बैंकों (निजी क्षेत्र के बैंक) में रखे जाने से बड़ी सरकारी राशि निजी बैंक खातों में पड़ी रहने एवं इससे संबंधित उपयोगिता का सामंजन भी संबित रहने का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की राशि का संधारण निजी क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय प्राप्ति बैंकों के माध्यम से किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए संबंधित स्कीमों की मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का भी अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप बैंक खाता के संधारण हेतु पूर्व में भी वित्त विभागीय दिशा-निर्देश दिया जाता रहा है, जिसका अनुपालन किया जाना संबंधित प्रशासी विभाग की एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों की जबाबदेही भी है। अतः महालेखानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उक्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से संबंधित राशि के बैंक में संधारण करने में उक्त वर्णित दिशा-निर्देश का अनुपालन एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जाय।

तदनुसार, पूर्व में इस संबंध में निर्गत वित्त विभागीय दिशा-निर्देश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)